

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 66/2020 राजस्व अपील

1. नाथूलाल पुत्र सुखराम जाति बैरवा निवासी रायपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश उप तहसीलदार सिकन्दरा दिनांक 31.08.2020 मुकदमा नम्बर 235/2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम नाथूराम अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांक: 29.01.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने अपीलान्त के खिलाफ एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्त ने सम्वत 2077 खरीफ में ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नं. 117 रकबा 0.10 है. पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना एवं पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिये बिना ही दिनांक 31.08.2020 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्त को उक्त भूमि से बेदखल कर पेनल्टी से दंडित करते हुए 60 दिन के सिविल कारावास सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के उक्त आदेश दिनांक 31.08.2020 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना एवं अपीलान्त की विधिवत तामील करवाये बिना पीठ पीछे उक्त निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने पूर्व बेदखली की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है ना ही पूर्व बेदखली का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है। कानूनन जब तक पूर्व भौतिक बेदखली सिद्ध नहीं हो तब तक सजा जैसा कठोर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं लिये और ना ही



अतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा

अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिया। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट ने ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नं. 117 पर से अपना कब्जा हटा लिये जाने, उक्त भूमि के किसी भी भाग पर वर्तमान में कब्जा नहीं होना तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 31.08.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय में स्थित गै. मु. नले की भूमि खसरा नं. 117 रकबा 0.10 है. पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर शास्ति आरोपित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 31.08.2020 को बेदखल करने एवं 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय में स्थित गै. मु. नले की भूमि खसरा नं. 117 रकबा 0.10 है. पर से कब्जा हटा लिया जाना एवं आज दिनांक को कोई कब्जा नहीं होना तथा भविष्य में उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उप तहसीलदार सिकन्दरा से अतिक्रमण हटा लिये जाने बाबत मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उपतहसीलदार सिकन्दरा ने अपनी मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट का मौके पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2020 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।


(लोकेश कुमार मीना)

अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।





(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा